



RAS

राजस्थान प्रशासनिक सेवा

पेपर - III || भाग - I

भारतीय राजनीति



भारतीय राजनीति

| | |
|---|----|
| 1. भारतीय राजव्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि | 1 |
| 2. साइमन कमीशन | 6 |
| 3. भारत शासन अधिनियम 1947 | 8 |
| 4. संविधान सभा | 9 |
| 5. भारतीय संविधान के स्रोत | 14 |
| 6. प्रस्तावना | 16 |
| 7. देश का एकीकरण | 20 |
| 8. अनुसूचियां | 23 |
| 9. भारतीय संविधान के भाग | 25 |
| 10. राज्य के तत्व | 26 |
| 11. साम्यवाद | 30 |
| 12. संघ एवं इसका क्षेत्र | 32 |
| 13. मूल अधिकार | 34 |
| 14. राज्य के नीति निर्देशक तत्व | 53 |
| 15. मूल कर्तव्य | 60 |
| 16. संघ सरकार | 62 |
| 17. राष्ट्रपति | 62 |
| 18. उपराष्ट्रपति | 72 |
| 19. प्रधानमंत्री | 74 |
| 20. महान्यायवादी | 76 |
| 21. मंत्रीपरिषद् | 77 |
| 22. संसदीय शासन प्रणाली | 81 |
| 23. संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था | 85 |
| 24. संविधान संशोधन | 87 |
| 25. विधायिका | 90 |

| | |
|--|-----|
| 26. उच्चतम न्यायालय | 117 |
| 27. उच्च न्यायालय | 123 |
| 28. राज्य विधानमण्डल | 128 |
| 29. महान्यायवादी | 130 |
| 30. आपातकालीन उपबंध | 131 |
| 31. CAG | 135 |
| 32. केन्द्र राज्य संबंध | 137 |
| 33. केन्द्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध | 140 |
| 34. पुंछी आयोग | 143 |
| 35. वरीयता क्रम | 145 |
| 36. राजभाषा | 146 |
| 37. राज्य की कार्यपालिका | 149 |
| 38. राज्य की राजनीति | 157 |
| 39. सचिवालय | 161 |
| 40. संभाग | 165 |
| 41. जिला | 166 |
| 42. उपखण्ड अधिकारी | 169 |
| 43. तहसीलदार | 170 |
| 44. पटवारी | 171 |
| 45. राज्य निर्वाचन आयोग | 172 |
| 46. RPSC | 173 |
| 47. UPSC | 175 |
| 48. NDP | 177 |
| 49. राज्य सूचना आयोग | 179 |
| 50. स्थानीय स्वशासन | 181 |
| 51. नगरीय संस्थाएं | 186 |
| 52. महानगरीय योजना समिति | 190 |

| | |
|---------------------------------------|-----|
| 53. राज्य वित्त आयोग | 193 |
| 54. निर्वाचन आयोग | 194 |
| 55. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग | 195 |
| 56. राज्य मानवाधिकार आयोग | 196 |
| 57. CVC | 197 |
| 58. लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम-2013 | 198 |
| 59. राष्ट्रीय अखण्डता | 200 |
| 60. पूर्वोत्तर में अलगाववाद | 203 |
| 61. आतंकवाद | 206 |
| 62. मीडिया | 208 |
| 63. संगठित अपराध | 210 |
| 64. भारतीय राजनीति में जाति | 211 |
| 65. राजनीतिक दल व मतदान व्यवहार | 217 |
| 66. लैंगिक भेदभाव | 221 |
| 67. नृजातीयता से संबंधित मुद्दे | 227 |
| 68. राष्ट्रीय एकीकरण | 230 |

भारतीय राजनीति

भारतीय राजव्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में ब्रिटिश 1600 ई. में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के रूप में व्यापार करने के लिए आये थे इन्हें भारत में व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया गया था।

बक्सर के युद्ध (22 अक्टूबर 1764) के बाद प्रथम बार 1765 में कम्पनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई।

दीवानी :- दीवानी से तात्पर्य है राजस्व संग्रहण व नागरिक न्याय की शक्ति।

1773 का रेग्युलेशन एक्ट

- इसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाई गई। प्रथम गवर्नर जनरल वार्नर हेरिंटिंग्ग था।
 - बॉम्बे एवं मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन लाया गया जो कि पहले स्वतंत्र थे।
 - इसके माध्यम से 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं तीन अन्य न्यायाधीश थे।
 - कम्पनी सर्वोच्च शक्ति (गवर्निंग बोडी) court of directors को राजस्व नागरिक व सैन्य रिपोर्ट नियमित रूप से ब्रिटिश सरकार को देने के लिए कहा गया।
- उक्त एक्ट का महत्व यह है कि प्रथम बार ब्रिटिश सरकार ने अपनी कम्पनी के राजनैतिक व प्रशासनिक महत्व को समझा तथा उसे नियमित व नियंत्रित करने का प्रयास करते हुए भारत में केन्द्रीय प्रशासन की नींव रखी।

1784 का पिट्स इण्डिया एक्ट

- इसमें कम्पनी के वाणिज्यिक एवं राजनैतिक कार्यों को पृथक कर दिया गया।
- इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर (निदेशक मण्डल) को वाणिज्यिक कार्यों की छूट दी किन्तु राजनैतिक कार्यों के लिए Board of Central बनाया।
- भारत में स्थित सभी ब्रिटिश क्षेत्र तथा परिशम्पति के सैन्य एवं नागरिक कार्यों पर निर्देशन एवं पर्यवेक्षण की शक्ति बोर्ड ऑफ कंट्रोल (नियंत्रक मण्डल) को दी।
- प्रथम बार द्वैध शासन लागू किया Board of control व court of directors

1833 का चार्टर एक्ट

- बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया।
 - सारी नागरिक व सैन्य शक्ति उसमें निहित की गई।
 - भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बैंटिंक थे।
- बम्बई व मद्रास के गवर्नरों से कानून बनाने की शक्ति छीन ली गई सारी शक्ति बंगाल के गवर्नर जनरल में निहित थी।
- ईस्ट इण्डिया कम्पनी का स्वरूप बदला यह व्यापारिक कम्पनी नहीं रही बल्कि प्रशासनिक संस्था बनाई गई जो ब्रिटेन के राजमुकुट की ओर से कार्य करेगी।

- प्रथम बार खुली प्रतियोगिता को भर्तियों में आघात बनाने का अक्षरफल प्रयास किया गया तथा भारतीयों को भी कम्पनी के पदों के उपयुक्त माना गया।
- इस एक्ट का महत्व यह है कि प्रथम बार भारत की सरकार की संकल्पना की गई तथा यह केन्द्रीकरण की तरफ एक निर्णायक कदम रहा।

1853 A.D. का चार्टर एक्ट

- इसमें प्रथम बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यपालिका कार्यों को अलग किया 6 नये सदस्य जोड़े गये जिन्हें विधायी परिषद कहा गया। अर्थात् गवर्नर जनरल की एक विधान परिषद बनाई गई जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया यह एक छोटी ब्रिटिश संसद की तरह थी जिसमें वही प्रक्रियाएँ अपनाई जाती थी जो ब्रिटेन में अपनाई जाती थी।
- सिविल सेवाओं की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता प्रारम्भ दो प्रकार की सेवाएँ थी
 1. उच्च Covenanted सेवाएं
 2. निम्न Uncovenanted

इस एक्ट में उच्च सिविल सेवा भारतीयों के लिए खोल दी गई तथा एक्ट के प्रावधानों के तहत भारतीय सिविल सेवा के लिए 1854 में मैकाले समिति गठित की गई।
- यद्यपि कम्पनी को आगे कार्य करने की अनुमति दी गई लेकिन निश्चित समयवधि नहीं दी गई।

1858 का भारत शासन अधिनियम

प्रथम स्वतंत्रता आन्दोलन के बाद भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी का शासन समाप्त किया गया तथा सारी शक्ति ब्रिटिश राजमुकुट (क्राउन) के अन्तर्गत आ गई इस अधिनियम को Act For The Good Government Of India (भारत की अच्छी सरकार बनाने के लिए बनाया गया अधिनियम) कहते हैं।

1. भारत का शासन ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के द्वारा चलाया जायेगा।
2. भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय एवं गवर्नर जनरल कहा जाने लगा।
 - वह भारत में ब्रिटिश राजमुकुट का सीधा प्रतिनिधि था।
 - प्रथम वायसराय लार्ड कैनिंग था।
3. Board Of Control तथा Court of Director समाप्त का द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया।
4. एक नये पद भारत का राज्य सचिव (Secretary of state for india) का सृजन किया गया।
 - सम्पूर्ण शक्ति एवं नियंत्रण का दायित्व भारत के राज्य सचिव को दिया गया जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य होता था।
5. भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय सलाहकार समिति बनाई गई। इसमें कुछ सदस्य राजमुकुट की ओर से मनोनीत थे तथा कुछ का मनोनयन (Nomination) Board of directors की तरफ से था। 15 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष भारत सचिव था।
6. यह समिति एक नियमित निकाय थी जिसे भारत एवं इंग्लैण्ड में मुकदमों में एक पक्ष बनने का अधिकार था अर्थात् यह किसी पर मुकदमा कर भी सकती थी तथा इस पर मुकदमा किया जा सकता था इनका ऑफिस ब्रिटेन में ही था।

कमी:-

1. यह केवल एकात्मक ही नहीं अपितु पूर्ण एकात्मक शासन था सम्पूर्ण क्षेत्र का विभाजन प्रांतों में किया गया था जिसका मुखिया G.G. था उसकी अपनी एक्जिक्यूटिव काउंसिल थी किन्तु से सभी

भारत सरकार के अर्जेन्ट प्रतिनिधी मात्र थे तथा शारे कार्य वायशराय एवं गवर्नर जनरल के अदेशानुसार किये जाते थे ।

2. विधायिक कार्यपालिका अथवा नागरिक या रैन्य पर कोई विभाजन नही था ।
3. जनता की राय का किसी स्तर पर कोई महत्व नही था ।

1861 का भारत परिषद अधिनियम

1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार को शासन मे भारतीयों का सहयोग आवश्यक लगा अतः उक्त अधिनियम मे निम्न प्रावधान किये गये ।

1. वायशराय की विस्तारित (विधान परिषद) परिषद मे गैर शरकारी शदश्यों के रूप में भारतीयों का नामांकन सम्भव हुआ । 1862 मे प्रथम बार लार्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों - बनास के राजा, पटियाला के राजा, दिनकर राव को नामांकित किया ।
2. बम्बई और मद्रास प्रान्त को अपनी विधायी शक्तियां वापस मिली अर्थात विकेन्द्रीकरण की दुबारा शुरुआत हुई ।
3. इसके माध्यम से बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त और पंजाब में क्रमशः 1861, 1886, 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ ।
4. इसमे वायशराय को परिषद मे कार्य शंचालन के लिए अधिक नियम व अदेश बनाने की स्वतंत्रता दी 1859 मे लार्ड कैनिंग द्वारा प्रारम्भ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली (मंत्रालय) को मान्यता दी अर्थात वायशराय की परिषद का कोई शदश्य एक या अधिक शरकारी विभाग का प्रभारी बनाया जा सकता था तथा उसे परिषद की ओर से अन्तिम अदेश पारित करने का अधिकार था ।
5. इसमे आपात काल मे वायशराय को विधायी परिषद की शलाह के बिना अध्यादेश लागू करने की शक्ति दी जिसकी अवधि 8 माह थी ।

कमियाँ:-

1. ये प्रतिनिध्यात्मक नही थी ।
2. मात्र वायशराय के द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर चर्चा का अधिकार था ।
3. वायशराय की इच्छा से ही बिल प्रस्तुत किया जा सकता था ।
4. विधेयक के पास होने पर भी वायशराय को वीटो का अधिकार था तथा राजमुकुट के विचारार्थ रखने का भी अधिकार था ।
5. अध्यादेश का अत्यन्त व्यापक अधिकार दिया गया था ।

1892 का भारत परिषद अधिनियम

- इसके माध्यम से केन्द्रीय और प्रान्तीय विधानपरिषदों मे अतिरिक्त गैर शरकारी शदश्यों की संख्या बढ़ाई गई किन्तु बहुमत शरकारी शदश्यों का था ।
 - इसमे विधानपरिषदों के कार्यों मे वृद्धि की जैसे बजट पर चर्चा का अधिकार कार्य पालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार ।
 - इसके माध्यम से भारतीय विधानपरिषद के गैर शरकारी शदश्यों का मनोनयन प्रान्तीय विधान परिषद तथा बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के माध्यम से तथा प्रान्तीय विधान परिषदों के गैर शरकारी शदश्यों का मनोनयन विश्वविद्यालय जिला बोर्ड व्यापार संघ नगरपालिका तथा जमींदारों के द्वारा किया जाना था अन्तिम निर्णय केन्द्र में वायशराय, प्रांत में गवर्नर का होता था ।
- यद्यपि उक्त अधिनियम मे चुनाव शब्द का प्रयोग नही हुआ किन्तु केन्द्रीय और प्रान्तीय विधानपरिषदों मे गैर शरकारी शदश्यों के लिए एक समिति एवं अप्रत्यक्ष मतदान का प्रयोग किया गया

1909 का भारत शासन अधिनियम

- इसे मार्ले-मिंटो सुधार कहते हैं।
- लॉर्ड मार्ले भारत सचिव था तथा मिंटो भारत का वायसराय था।

विशेषता :-

1. इसमें केन्द्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में काफी वृद्धि की गई (60) राज्यों/प्रांतों में संख्या अलग अलग थी।
2. केन्द्रीय विधानपरिषदों में सरकारी बहुमत रखा गया किन्तु प्रांतों में गैर सरकारी बहुमत की अनुमति दे दी गई।
3. विधानपरिषदों की चर्चा सम्बन्धी अधिकारों में दोनों स्तरों पर वृद्धि हुई जैसे:- पूरक प्रश्न पूछना, बजट पर प्रस्ताव प्रस्तुत करना आदि।
4. प्रथम बार भारतीयों को वायसराय व गवर्नर की कार्यकारी परिषद के सदस्य बनने की अनुमति मिली
5. सत्येन्द्र प्रसाद सिन्हा प्रथम भारतीय थे जिन्हें वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधी सदस्य बनाया गया।
6. मुस्लिमों के लिए साम्प्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त दिया गया जिसके लिए पृथक निर्वाचक दल separate electorate की बात की गई।

कमियां :-

1. साम्प्रदायिक विभाजन क्षेत्र
2. लगभग सभी अन्तिम निर्णय अनुसूची कार्यकारी (वायसराय गवर्नर) के अधिकार क्षेत्र में थे।
3. राष्ट्रवादियों की संसदीय शासन वाली उत्तरदायी सरकारी बनाने में असफल।

1919 का भारत शासन अधिनियम

- 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने प्रथम बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के अखण्डनीय अंग की तरह होगा।
- इसी आधार पर 1919 में भारत शासन अधिनियम लाया गया जिसे मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं।
- मॉन्टेग्यू भारत सचिव था तथा चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था (मोन्ट फोर्ड एक्ट)

विशेषता :-

1. केन्द्रीय व प्रांतीय विषयों की अलग अलग सूची बनाई गई जिससे केन्द्र का राज्यों पर नियंत्रण कुछ कम हुआ यद्यपि राज्यों का अपनी सूची पर विधान बनाने का अधिकार था किन्तु सरकार का ढाँचा केन्द्रीय और एकात्मक हो रहा है।
2. प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया :-
 - शरक्षित और हस्तान्तरित
 - हस्तान्तरित विषयों पर गवर्नर विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के माध्यम से शासन करेगा
 - शरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से बिना विधायी परिषद के हस्तक्षेप के करेगा अर्थात् यह एक द्वैध शासन था
 - विधायिका में बहुमत गैर सरकारी सदस्यों का था

3. इस अधि. मे पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था व प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारम्भ हुआ। इस प्रकार भारतीय विधानपरिषद के दो सदन थे-
 - लेजिस्लेटिव कौन्सिल (लोकसभा) व काउन्सिल ऑफ स्टेट (राज्यसभा)
 - दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्य सीधे चुनाव के द्वारा चुने जाते थे महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया।
4. शिक्षा कर और सम्पत्ति के आधार पर मताधिकार दिया गया
5. वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर तीन सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इसमें मुस्लिमों के अतिरिक्त सिक्ख भारतीय, ईसाई एंग्लो इण्डियन व यूरोपीय लोगों के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया।
6. लन्दन में भारतीय उच्चायुक्त का पद जूमित किया तथा भारत सचिव के कुछ गैर कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानान्तरित किया।
7. एक लोकसेवा आयोग का प्रावधान किया गया। उच्च नागरिक सेवाओं के लिए गठित "ली आयोग" की सिफारिशों के आधार पर 1926 में सिविल सेवाओं की भर्ती हेतु एक "केन्द्रीय लोक सेवा आयोग" का गठन किया गया।
8. केन्द्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया तथा राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के अधिकार दिये गये।
9. इसके अन्तर्गत एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रस्ताव था जो कि 10 वर्ष के उपरान्त भारत की शासन प्रणाली का अध्ययन करेगा।

कमियाँ :-

1. कोई भी प्रांतीय दल गवर्नर की स्वीकृति के बाद वायसराय की अनुमति के लिए सेवा जा सकता था
2. यद्यपि प्रांतों को अपने विषयों पर कानून बनाने का तथा टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया था किन्तु यह संधात्मक शक्ति वितरण नहीं था क्योंकि यह शक्ति केन्द्र द्वारा प्रत्यायोजन के आधार पर दी गई थी। केन्द्रीय विधानपरिषद भारत के किसी भी हिस्से के लिए किसी भी विषय पर कानून बना सकती थी
3. केन्द्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं थी वायसराय भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश संसद के अधीन था।
4. किसी भी विषय के केन्द्रीय अथवा प्रांतीय होने के अंतिम निर्णय का अधिकार गवर्नर जनरल के पास था।
5. अधिकांश विषयों पर गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना चर्चा नहीं की जा सकती थी।
6. वित्त एक अशक्त विषय था जो कार्यकारी परिषद के सदस्य के अधीन था अतः धन की समस्या के कारण कोई प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाता था।
7. ICS के सभी सदस्य जिनके माध्यम से मंत्रियों को अपनी नीतियां क्रियान्वित करनी थी वे भारत सचिव द्वारा भर्ती किये जाते थे तथा मंत्रियों के स्थान पर भारत सचिव के लिए उत्तरदायी थे।

1920 A.D. ने मद्रास में सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार दिया गया।

शाइमन कमीशन

- नवम्बर 1927 में 10 वर्ष पूर्ण होने से पहले ब्रिटिश सरकार ने जॉन शाइमन की अध्यक्षता में भारतीय वैधानिक स्थिति को जानने के लिए एक 7 सदस्यीय आयोग गठित किया जिसे भारतीय वैधानिक आयोग भी कहते हैं
- आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे अतः सभी पार्टियों ने इसका विरोध किया ।
- आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1930 में ब्रिटिश सरकार को सौंपी जिसमें निम्न सिफारिशें थी
 1. द्वैध शासन का अन्त
 2. प्रान्तों में अधिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना
 3. ब्रिटिश भारत तथा देशी रियायतों के संघ की स्थापना
 4. साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को जारी रखा जाना चाहिएँ ।
- शाइमन कमीशन के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा तीन गोलमेज (round table) सम्मेलन किये गये (1930, 1931, 1932)
- इनमें ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश भारत व भारतीय रियायतों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए जिसमें कोई सहमति नहीं बन पाई
- उक्त चर्चाओं के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र बनाया गया जिसे ब्रिटिश संसद भेजा गया ।
- कुछ संशोधनों के साथ इस समिति की सिफारिशों को भारत शासन अधि. 1935 में शामिल किया गया शाइमन कमीशन के 7 सदस्यीय आयोग में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य थे

साम्प्रदायिक अर्वाड :- अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए एक योजना प्रस्तुत की जिसे साम्प्रदायिक अर्वाड कहा जाता है । इसके अन्तर्गत मुस्लिमों, सिक्खों, भारतीय ईसाईयों, एंग्लो इण्डियन व यूरोपीयन के लिए पृथक निर्वाचन जारी रखा गया तथा दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई ।

भारत शासन अधिनियम 1935

- इसमें एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की गई जिसमें प्रान्तों और रियायतों को सम्मिलित किया तीन सूचियां बनाई गई
 - (a). केन्द्रीय सूची 59 विषय
 - (b). प्रांतीय सूची 54 विषय
 - (c). समवर्ती सूची 36 विषय अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गई ।
 यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देशी रियायतों ने इनमें शामिल होने से मना कर दिया
- प्रान्तों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई तथा प्रांतीय स्वायत्तता प्रारम्भ हुई राज्य सूची के विषयों में स्वतंत्रता दी गई उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई क्योंकि गवर्नर को मंत्रियों की सलाह के अनुसार कार्य करना था जो कि प्रांतीय विधायिका के लिए जवाबदेह थे ।
- संघीय स्तर पर द्वैध शासन प्रारम्भ हुआ ।
 - संघीय विषयों को अर्वाकित एवं हस्तान्तरित में विभक्त किया गया ।
 - भारतीय विषयों के लिए कार्यकारी पार्षदों जिनकी अधिकतम संख्या 3 निर्धारित थी के माध्यम से गवर्नर जनरल को शासन अधिकतम 10 मंत्रियों के द्वारा किया जाना था जो कि विधानपरिषद के लिए उत्तरदायी थे ।

- इसमें 11 में से 6 प्रान्तों में द्विशदनात्मक प्रणाली प्रारम्भ की
 - बंगाल, बाम्बे, मद्रास, आसाम, बिहार, संयुक्त प्रान्त
 - उच्च शदन को विधानपरिषद (लेजिस्लेटिव काउंसिल) कहा व निम्न शदन को विधानसभा (लेजिस्लेटिव असेम्बली) कहा ।
- साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाया गया । दलितों, महिलाओं एवं मजदूरों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिये गये
- 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित भारत सचिव की भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया तथा उसके स्थान पर सलाहकारों का एक दल उपलब्ध करवाया गया ।
- मताधिकार का विस्तार किया गया लगभग 10 प्रतिशत जनसंख्या को मताधिकार दिया गया
- संघीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया साथ ही संयुक्त लोक सेवा आयोग तथा प्रान्तीय लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान किया गया ।
- भारत की मुद्रा व शाख नियंत्रण के लिए RBI का प्रावधान किया गया ।
- संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया जो 1937 में गठित हुआ
 - इसकी स्थापना अन्तर्राष्ट्रीय विवादों तथा संविधान (1935 अधिनियम) की व्याख्या हेतु की गई जिसकी अपील लन्दन में प्रिवी काउंसिल में की जा सकती है
 - महिलाओं को मताधिकार दिया गया ।

कमियाँ व विशेषताएँ:-

1. पूर्व के सभी अधिनियमों में भारत सरकार एकात्मक थी इसके माध्यम से एक संघ का प्रस्ताव किया गया था जिससे सम्मिलित होने का रियासतों को स्वेच्छा से अधिकार दिया गया था ।
2. केन्द्रीय स्तर पर संघ नहीं बन पाया किन्तु प्रान्तीय स्वायत्तता के तहत 1937 से शासन प्रारम्भ हुआ
 - गवर्नर द्वारा प्रांतीय कार्यकारी दायित्वों का निर्वहन मुकुट के प्रतिनिधि के रूप में करना प्रारम्भ न कि गवर्नर जनरल के अधीनस्थ के रूप में
 - गवर्नर द्वारा मंत्रियों की सलाह के अनुसार कार्य करना अनिवार्य था जो कि विधायिका के लिए उत्तरदायी थे किन्तु गवर्नर को विशेषाधिकार प्राप्त थे जिनके लिए उसे मंत्रियों की सलाह के स्थान पर वायसराय के माध्यम से भारत सचिव की ओर से कार्य करना था ।
3. गवर्नर जनरल द्वारा सुरक्षा विदेश संबंध आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन तथा चर्चा संबंधी विषयों को अपने द्वारा नियुक्त सलाहकारों के माध्यम से देखा जाना था जबकि अन्य विषयों के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना था जो कि विधायिका के लिए उत्तरदायी थी
 - इन कार्यों के संदर्भ में भी यदि गवर्नर जनरल को विशेष उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना है तो मंत्रिपरिषद की सलाह के विरुद्ध भारत सचिव के नियंत्रण एवं निर्देशन से कार्य कर सकता था ।
4. गवर्नर जनरल की वीटो शक्ति के अतिरिक्त राजमुकुट भी केन्द्रीय विधायिका को वीटो कर सकता है
5. गवर्नर जनरल अपने विशेष उत्तरदायित्वों का हवाला देकर विधायिका में किसी भी चर्चा अथवा बिल को रोक सकता था ।
6. अध्यादेश की शक्ति के साथ गवर्नर जनरल को शदन के चलते रहने की स्थिति में भी कानून बनाने का अधिकार था
7. गवर्नर जनरल की विवेकाधीन शक्तियों में कमी करने वाला कोई भी प्रस्ताव उसकी पूर्वानुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता था ।
8. प्रान्तों द्वारा पारित किये गये अधिकांश प्रस्तावों को गवर्नर जनरल अथवा राजमुकुट की स्वीकृति के लिए रोक जा सकता था ।
9. यद्यपि देशी रियासतें उक्त प्रस्ताव में शामिल नहीं हुईं तथापि केन्द्र सरकार और प्रान्तों के मध्य संघात्मक प्रावधान क्रियान्वित हुए जो कि प्रत्यायोजन नहीं था ।

10. अक्षुषल शक्तलतलं न तल केंद्रीत वलधलतलकल मे नलहत थी कुौर न ही तुरलंतीत वलधलतलकल मे गवरुनर कुनरल देनल मे ऐ कलरी कु भी तुरलधकृत कर शकतल थल । बरुनल कु भरत ऐ कुलग करने कल तुरलवधलन थल ।

भरत शलशन अक्षुधनलतत 1947


- 3 कुललई 1947 कु भरत के वलतशरतत तलडुनरुत डेतन ने वलभलकन कल तुरलतलव शखल कुलऐ “तलडुनरुत डेतन तलकनल” कहते है
- कलंग्रेस कुौर तुरुखलत लीग देनल के दुवलरल तलह शवीकलर कर ललतल गतल

भरतीत श्वतंत्रतल अक्षुधनलतत 1947 बनलकर इऐ ललगू कलतल गतल इऐकी नलतुन वलशेषतलऐ थी :-

1. भरत मे डुरलतलश रलक शतलतुत हुकुश तथल भरत कु 15 अगस्त 1947 ऐ श्वतंत्र एवं शतुतुरतु, शषुटुर दुरलषलत कलतल गतल
2. इऐते भरत कल वलभलकन कर भरत कुौर तलकलशतलन दे श्वतंत्र डुतलनलतन बनलऐ कुतुनै डुरलतलश शषुटुरतणुडल ऐ कुलग हुने कु श्वतंत्रतल थी ।
3. इऐने वलतशरतत कल तद शतलतुत कर दुवलरल कुौर इऐके शथलन तद देनल डुतलनलतन के ललऐ कुलग कुलग गवरुनर कुनरल कल तुरलवधलन कलतल कुलऐकी नलतुतल डुतलनलतन के डुरलनलत कल शलषलरलश तद रलकतुकुट कु करनी थी । डुरलतलन कु शरकर तद भरत तल तलकलशतलन कु शरकर कल कुई उतरदलतलतुव नही थल ।
4. इऐके तलधुतत ऐ देनल देशु कु शंवलधलन नलतुरलतुरी शतुल कु अतुनल इकुलनलशर शंवलधलन बनलने एवं ललगू करने कल अक्षुधकलर तललल शलथ ही डुरलतलश शंशद दुवलरल तलरलत कलरी भी कलनून कु शदुद करने कल अक्षुधकलर तललल
5. इऐने देनल देशु कु शंवलधलन शतुल कु तुरलधकृत कलतल कल कुब तक नतल शंवलधलन ललगू नही हु कुलतल तड तक अतुने अतुने कुेत्र के ललऐ ऐ कलनून बनलने कल कलरुत कर शकेंगी ।
6. 15 अगस्त 1947 के डलद डुरलतलश शंशद दुवलरल तलरलत कुई भी कलनून देनल देशु तद तड तक तुरलभलवी नही हुगल कुब तक कल शंवलधलन शतुल इऐकी शहतलत न दे
7. डुरलतलन मे भरत शकलत कल तद शतलतुत कर दुवलरल गतल तथल इऐकी शतुल शक्तलतलं शषुटुरतणुडल शकलत कु शथलनलनतरलत हु गई ।
8. 15 अगस्त 1947 ऐ भरतीत रलशलततु तद डुरलतलश शतुतुरतुतल शतलतुत हु गई तथल रलशलततु कु भरत अथवल तलकलशतलन मे तललने अथवल श्वतंत्र रहने कु अकलकुी कु गई ।
9. डुरलतलश कलल में वीतु कु अक्षुधकलर तथल श्वतुं कल अतुनलतल के ललऐ डुरलतलश वलधुतत कल शुकने कल अक्षुधकलर शतलतुत हु गतल कलनुत कुकुष तलरलशुथलतलतु मे गवरुनर कुनरल कु तलह अक्षुधकलर दुवलरल ।
10. भरत के गवरुनर कुनरल व रलकुतु के गवरुनर कु शंवलधलनलक तुरतुख के रुरत मे शथलतलत कलतल कुनकुी शक्तलतलं तथलरुथ न हुकर नलततलर कल थी इनुहे तुरलतुरी तलरलषद कुी शलललह के अतुनलशर कलरुत करनल थल
11. 14-15 अगस्त कुी तलधुतलतुरल डुरलतलश शलशन कल अतुत हुकुश तथल शतुतल देनल डुतलनलतन देशु कु तलली
 - श्वतंत्र भरत के तुरलथत गवरुनर कुनरल तलडुनरुत डेतन तथल तुरलथत श्वतंत्र तुरलधलनतुरी कुवलहरललल नेहरु कु शतथ दुलललई
 - भरत कुी शंवलधलन शतुल भरत कुी शंशद कुी तरुह कलरुत करने लगी ।
 - तलक कल G.G. तुरुहतुतद अली कुननल
 - शरुवुकुत शकलत कल नलरुवलकलत हुनल - गणतंत्र
 - शरुवुकुत शकलत कल वंशलनलगत हुनल - रलकतंत्र
 - नीके कुी शकलत कल कुनतल दुवलरल कुनल कुनल - लुकतंत्र

संविधान सभा

- सर्वप्रथम 1895 ई. में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की
- 1921 गांधीजी ने संविधान सभा की मांग की
- 1934 मानवेन्द्र नाथ रॉय ने संविधान सभा की मांग की (M.N. रॉय)
- 1935 कांग्रेस ने पहली बार अधिकाधिक तौर पर संविधान सभा की मांग की
- 1938 कांग्रेस के प्रतिनिधी के तौर पर जवाहर लाल नेहरू ने सार्वजनिक वक्ता मतदान के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की मांग की
- 1940 अग्रस्त प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार ने पहली बार संविधान सभा का प्रस्ताव रखा यद्यपि संविधान सभा शब्द का उल्लेख नहीं किया गया।
- 1942 क्रिप्स मिशन निर्वाचित संविधान सभा का प्रस्ताव जो प्रांतीय विधान मण्डल के निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा
- 1946 कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन किया गया इसका निर्वाचन प्रांतीय विधानमण्डल के निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति व एकल संक्रमणीय मत के द्वारा।



- जुलाई अग्रस्त 1946 को संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था
- कांग्रेस के 208 सदस्य निर्वाचित हुए थे
- मुस्लिम के लिए 78 सीट आरक्षित की गयी थी 32में से 73 सीट पर मुस्लिम लीग के सदस्य निर्वाचित हुए थे।
- संविधान सभा के चुनावों के ठीक बाद मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया।
- महात्मा गांधी एवं मौहम्मद अली जिन्ना ने चुनाव नहीं लडा था।
- कुल 15 महिला सदस्य निर्वाचित हुई थी।
- जय प्रकाश नारायण व तेज बहादुर सप्रु ने संविधान सभा से त्याग पत्र दे दिया था।
- 9 दिसम्बर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वरिष्ठतम सदस्य सचिद्यदानन्द सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया।
- 11 दिसम्बर 1946 संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया
- H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया।

- T.T. कृष्णामाचारी को भी उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया
- B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया
- संविधान का पहला प्रारूप B.N. राव ने तैयार किया था जबकि अन्तिम प्रारूप समिति ने तैयार किया था ।
- 13 दिसम्बर 1946 पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था ।
- 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया ।

उद्देश्य प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएँ :-

1. सम्प्रभु व एकीकृत राष्ट्र की स्थापना करना ।
 2. लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना ।
 3. नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय प्रदान करना
 4. नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करना ।
 5. विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करना
 6. धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना करना ।
- उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के लिए दिशा निर्देशिका था जिसमें संविधान के आदर्शों को इसमें शामिल किया गया

महत्वपूर्ण समितियाँ :-

1. संघीय संविधान समिति
2. संघीय शक्ति समिति
3. प्रान्तीय शक्ति समिति
4. प्रान्तीय संविधान समिति :- अध्यक्ष - सरदार वल्लभ भाई पटेल
5. मूल अधिकार, अल्प संख्यक, अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र तथा बाह्य क्षेत्र के लिए समिति :- सरदार वल्लभ भाई पटेल
 - मूल अधिकार उप समिति- जे. बी. कृपलानी
 - अल्पसंख्यक के लिए उप समिति- H.C. मुखर्जी
 - अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र उप समिति- गोपीनाथ बार्दोलोई
 - बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्र के लिए उप समिति - A.V. ठक्कर


प्रारूप समिति :-

1. डॉ. भीमराव अम्बेडकर (अध्यक्ष)
 2. गोपाल स्वामी आयंगर
 3. कृष्णा स्वामी अय्यर
 4. K.M. मुंशी
 5. मौहम्मद सादुल्लाह
 6. N. माधव राव (B.L. मित्र त्याग पत्र)
 7. T.T. कृष्णामाचारी (D.P. खेतान की मृत्यु)
- इसके बाद प्रारूप समिति ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और उसके भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया ।
 - प्रथम पठन 4 नवम्बर 1948 से 9 नवम्बर 1948 तक किया ।
 - द्वितीय पठन 15 नवम्बर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक किया ।

- तृतीय पठन 14 नवम्बर से 26 नवम्बर 1949 तक किया।
- 26 नवम्बर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया इस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किये।

15 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा की भूमिका :-

- सम्प्रभु संस्था के रूप में स्थापित हुई केबिनेट मिशन की अनुशंसा के आधार पर कार्य करने की बाध्यता समाप्त हो गयी।
- 15 अगस्त 1947 से संविधान सभा ने दोहरी भूमिका का निर्वहन किया संविधान सभा के साथ-साथ विधानमण्डल के रूप में कार्य किया।
- आजादी के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य रह गये थे।



- 299 में से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किये थे।
- 15 अनुच्छेद 26 नवम्बर 1949 को लागू किये गये
 - अनु. 5,6,7,8,9 (नागरिकता से सम्बन्ध)
 - अनु. 60 (राष्ट्रपति की शपथ)
 - अनु. 324 (निर्वाचन आयोग)
 - अनु. 366, 367 (निर्वाचन संबंधी शब्दावली)
 - अनु. 379, 380, 388, 391, 392, 393

| आरम्भ | वर्तमान |
|----------------------------|---------|
| ○ मूल संविधान में भाग 2 थे | - 25 |
| ○ अनुच्छेद 395 | - 460 |
| ○ अनुसूचियाँ 8 | - 12 |

संविधान सभा के द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय :-

- 22 जुलाई 1947- राष्ट्रध्वज को मान्यता दी।
- मई 1949 “राष्ट्रमण्डल की सदस्यता” को मान्यता दी गयी
- 24 जनवरी 1950 राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को मान्यता दी गयी
- 24 जनवरी 1950 भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का निर्वाचन किया गया
- 24 जनवरी 1950 इस दिन संविधान सभा की अन्तिम बैठक थी और इसके बाद इन्होंने इसको भंग कर दिया गया इसके बाद संविधान सभा विधानमण्डल के रूप में यह कार्य करती रही (1952 तक)

संविधान सभा की आलोचना :-

- संविधान सभा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं थी रियासतों के प्रतिनिधि मनोनीत किये गये थे।
- संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानमण्डल के द्वारा निर्वाचित किये गये थे प्रांतीय विधानमण्डल के सदस्यों का निर्वाचन भी सार्वभौमिक वयस्क मतदान के आधार पर नहीं हुआ था इस समय केवल

10 प्रतिशत लोगो को मताधिकार था अतः 90 प्रतिशत जनसंख्या का संविधान सभा के निर्वाचन में अप्रत्यक्ष योगदान भी नहीं था।

- उपर्युक्त श्रालोचना उचित नहीं है क्योंकि तात्कालिक परिस्थितियों में संविधान सभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन सम्भव नहीं था क्योंकि
 1. चुनाव के लिए पर्याप्त ढाँचा नहीं था।
 2. संसाधनों की कमी थी
 3. राजनैतिक अस्थिरता का वातावरण था।
 4. साम्प्रदायिक हिंसा हो रही थी।
 5. लोगो में राजनैतिक जागरूकता व शिक्षा का अभाव था।
 6. समयअभाव था।
- उपर्युक्त कारणों से संविधान सभा का अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया था जहाँ तक रियासतों के सदस्यों के मनोनयन का प्रश्न है उस समय बड़ी चुनौती यह थी कि रियासतों का भारत में विलय कैसे किया जाए एवं रियासतों में चुनावी ढाँचा उपलब्ध नहीं था।
- संविधान सभा सम्प्रभु नहीं थी। संविधान सभा का निर्वाचन कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर किया गया था ब्रिटीश शासन के अन्तर्गत इसका निर्वाचन हुआ था इसलिए इसे सम्प्रभु संस्था नहीं माना जाता लेकिन 15 अगस्त 1947 से संविधान सभा एक सम्प्रभु संस्था के रूप में स्थापित हुई एवं कैबिनेट मिशन की सिफारिशों से पूर्णतः मुक्त थी और संविधान सभा ने इस आशय का प्रस्ताव भी पारित किया था कि वह अपने सभी निर्णय स्वतंत्रता पूर्वक लेगी।
- संविधान निर्माण में संविधान सभा ने अधिक समय लिया इसमें (2 वर्ष 11 माह 18 दिन) का समय लिया जबकि अमेरिका संविधान निर्माताओं ने 4 माह में संविधान पूरा कर दिया था
- यह श्रालोचना भी उचित नहीं है क्योंकि भारत व अमेरिका की स्थितियाँ भिन्न थी भारत एक बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक बहुभाषी व जटिल सामाजिक ढाँचे वाला देश है इसमें अनेक वंचित वर्ग तथा जनजातीय लोग हैं जबकि इनमें राजनैतिक जागरूकता का अभाव था शिक्षा का अभाव था अतः ऐसे संविधान का निर्माण करना था जिसमें सभी के हितों की रक्षा कर सके इसके लिए अनेक विशेष प्रावधान किये गये हैं जबकि अमेरिका में इतनी चुनौतियाँ नहीं थी।
- अमेरिका संविधान में रेड इण्डियन व निग्रोज के लिए अलग विशेष प्रावधान नहीं किये गये।
- भारतीय संविधान विश्व स्तर का सबसे बड़ा संविधान है क्योंकि इसमें प्रत्येक बात को विस्तार से समझाया गया है जबकि अमेरिकी संविधान अत्यधिक संक्षिप्त है उसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं जबकि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे।
- भारतीय संविधान संघ के संविधान के साथ-साथ राज्यों का संविधान भी शामिल है जबकि अमेरिकी संविधान में केवल संघ का संविधान ही है और सभी राज्यों के अलग संविधान हैं जो कालान्तर में बनाये गये थे।
- संविधान सभा में कांग्रेस का प्रभुत्व था इसलिए संविधान में कांग्रेस की विचारधारा को अधिक महत्व दिया गया है।

कांग्रेस ने राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व किया था एवं वह सबसे बड़ा राजनैतिक दल था इसका जनाधार अधिक था इसलिए प्रांतीय विधानमण्डलों के चुनावों में कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी एवं इसी कारण संविधान सभा में कांग्रेस के अधिक सदस्य थे इसके बावजूद संविधान सभा में सभी राजनैतिक दलों के विचारों को पर्याप्त महत्व दिया गया यहाँ तक की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अम्बेडकर कांग्रेस के सदस्य नहीं थे संविधान निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही थी। प्रारूप समिति में केवल 2 कांग्रेस के प्रतिनिधि थे शेष सभी सदस्य गैर कांग्रेसी थे। (K.M. मुंशी, T.T. कृष्णामाचारी) वैसे भी संविधान में किसी भी एक विचारधारा को अधिक महत्व नहीं